समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 23 September 2026

तमिलनाडु विधानसभा मे रांज्यपाल RN रवी का वॉकआउट — भाषण देने से इनकार

Publisher Published on 20 Jan 2026

20 जनवरी 2026 को तमिलनाडु विधानसभा का सत्र शुरू होते ही एक बड़ा राजनीतिक विवाद लीक हुआ, जब **राज्यपाल आर.एन. रवी (R.N. Ravi)** ने सरकार की तैयार *[illegible] (customary address)* पढ़ने से इनकार कर **सभा से बाहर चले गए**। रवी ने आरोप लगाया कि *[illegible] “[illegible]” [illegible]*, इसलिए वे उसे पढ़ना उचित नहीं मानते।

राज्यपाल के कार्यालय (लोक भवन) ने एक **13-बिंदु बयान** जारी कर कहा कि भाषण में *[illegible]* शामिल है। रवी ने यह भी दावा किया कि *[illegible]*, जिससे उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला।

यह घटना **राज्यपाल और **मुख्यमंत्री **एम. के. स्टालिन** के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव का एक नया अध्याय है, और यह *[illegible]* है जब रवी ने विधानसभा में संबोधन देने से इनकार कर वॉकआउट किया है।

मुख्यमंत्री **स्टालिन** ने राज्यपाल के कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह *[illegible]* है। उन्होंने आरोप लगाया कि *[illegible]*, और इसे *[illegible]* कहा।

स्टालिन ने विधानसभा में यह भी घोषणा की कि **DMK सरकार संविधान मे संशोधन की मांग करेगी** ताकि *[illegible]* न रहे, क्योंकि कई बार यह प्रथा विवाद का

कारण बनती रही है।

इस वॉकआउट के दौरान, तमिलनाडु सभा में *'[illegible]'* (राज्य का गीत) बजाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय गान से पहले राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान को लेकर भी मतभेद सामने आए। राजभवन ने इसे *[illegible]* के रूप में देखा, जबकि सरकार ने परंपरा का बचाव किया कि *[illegible]* लोक विधान में प्रचलित है।

यह विवाद तमिलनाडु की राजनीति में एक नया संवैधानिक और सांवैधानिक वादविवाद खड़ा करता दिख रहा है, जिससे *[illegible]* बन गया है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.